निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 24) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जनवरी 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
3 जनवरी 2019

एस० ओ० 13, दिनांक 3 जनवरी 2019––बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हुई हैं;

अतः, अब, बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, यथा :-

1. संक्षिप्त नाम–– यह आदेश बिहार माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 कहा जा सकेगा।

2. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।"।

3. यह आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–4)–43)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

3 जनवरी 2019

एस0 ओ0 13, दिनांक 3 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–4)–43)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 3rd January 2019

S.O. 13, Date 3rd January 2019— WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1)shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Bihar, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 52 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely: —

"*Explanation*: - For the purposes of this sub-section, it is hereby declared that the due date for furnishing the said statement for the months of October, November and December, 2018 shall be the 31st January, 2019.".

3. This order shall come into force with effect from 31st December, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-43)]
By the order of Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner State Tax-cum-Secretar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 24-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in